बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग
संकल्प

श्री जगदानंद दूबे, तत्कालीन श्रम अधीक्षक, भोजपुर सम्प्रति श्रम अधीक्षक, बक्सर के विरूद्ध श्रमायुक्त, बिहार के पत्रांक– 3708, दिनांक– 12.07.2017 द्वारा प्रपत्र 'क' गठित करते हुए यह आरोप प्रतिवेदित किया गया कि सहरसा जिला में Child Labour Tracking System (CLTS) में दर्ज 43 बच्चों में से दिनांक–30.06.2017 तक मात्र 21 बच्चे के नाम Fixed Deposit कराया गया। यह कृत्य कर्तव्यहीनता, उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना तथा स्वेच्छाचारिता का द्योतक है। श्रमायुक्त, बिहार के उक्त पत्र के आलोक में विभागीय पत्रांक– 1970, दिनांक– 03.08.2017 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम– 19 के तहत श्री दूबे से स्पष्टीकरण की माँग की गई।

2. श्री जगदानंद दूबे का स्पष्टीकरण श्रम अधीक्षक कार्यालय, बक्सर के पत्रांक–558, दिनांक–18.09.2017 द्वारा विभाग को प्राप्त हुआ। श्री दूबे ने अपने स्पष्टीकरण में उल्लेख किया है कि भोजपुर जिले में CLTS में दर्ज 43 बाल श्रमिकों के लिए विभागीय पत्रांक–840 दिनांक–06.03.2017 एवं पत्रांक–3179 दिनांक–08.06.2017 द्वारा क्रमशः 20 एवं 23 बाल श्रमिकों के विरूद्ध आवंटन प्राप्त हुआ। प्राप्त आवंटन के आलोक में जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा के पत्रांक–173 दिनांक–28.03.2017 एवं पत्रांक–401 दिनांक–21.06.2016 द्वारा क्रमशः 20 एवं 23 बाल श्रमिकों अर्थात् सभी 43 बाल श्रमिकों के नाम FD के लिए शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, आरा को निदेश दिया गया। साथ ही श्री दूबे ने अपने स्पष्टीकरण में 34 बाल श्रमिकों के FD जो माह अप्रैल 2017 से सितम्बर 2017 के बीच की है, को भी साक्ष्य के रूप में संलग्न किया है। इसी बीच विभागीय अधिसूचना संख्या–27 दिनांक–30.06.2017 द्वारा उनका स्थानांतरण भोजपुर, आरा से बक्सर हो गया।

3. श्री जगदानंद दूबे से प्राप्त स्पष्टीकरण पर श्रमायुक्त, बिहार का मंतव्य प्राप्त किया गया। श्रमायुक्त, बिहार ने अपने मंतव्य में यह अंकित किया है कि श्री दूबे द्वारा लाभार्थी बच्चों के FD कराये जाने से संबंधित निदेश दिनांक–28.03.2017 एवं दिनांक–21.06.2017 को जिला पदाधिकारी के माध्यम से दिया गया। परन्तु बैंक द्वारा संबंधित बाल श्रमिकों का FD करने में काफी विलम्ब किया गया। इस मामले में श्री दूबे द्वारा follow up नहीं किया गया जिसके कारण FD होने में तीन–चार महीनें का विलम्ब हुआ।

4. श्री जगदानंद दूबे के स्पष्टीकरण की श्रमायुक्त, बिहार के मंतव्य के आलोक में सक्षम प्राधिकार द्वारा समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत यह पाया गया कि बाल श्रमिकों के नाम FD कराने से संबंधित मामले में proper follow up नहीं होने के कारण FD कराने में विलम्ब हुआ। साथ ही बाल श्रमिकों के नाम FD करवा कर उसकी प्रविष्टि CLTS में अपलोड भी करनी होती है। अतएव श्री जगदानंद दूबे को भविष्य के प्रति यह सचेत करते हुए कि यदि फिर से लापरवाही परिलक्षित होती है तो उन्हें दंडित किया जा सकता है, उनके स्पष्टीकरण को स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है।

5. अतएव (श्री जगदानंद दूबे, तत्कालीन श्रम अधीक्षक, भोजपुर सम्प्रति श्रम अधीक्षक, बक्सर को भविष्य के प्रति यह सचेत करते हुए कि यदि फिर से लापरवाही परिलक्षित होती है तो उन्हें दंडित किया जा सकता है, उनके स्पष्टीकरण को स्वीकार किया जाता है।

sankalp24

6. प्रस्ताव में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति श्री श्री जगदानंद दूबे, तत्कालीन श्रम अधीक्षक, भोजपुर सम्प्रति श्रम अधीक्षक, बक्सर को निबंधित डाक से उपलब्ध करायें।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/—
(अमरेन्द्र नारायण मिश्र)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक— 6/श्रम वि० आ०(02)—20/2017 श्र०सं०— पटना, दिनांक—
प्रतिलिपि— प्रभारी पदाधिकारी, ई. बजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि राजपत्र की 15 (पन्द्रह) अतिरिक्त प्रतियॉ विभाग को उपलब्ध कराये।

ह०/—
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक— 6/श्रम वि० आ०(02)—20/2017 श्र०सं०— पटना, दिनांक—
प्रतिलिपि— महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि० कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक— 6/श्रम वि० आ०(02)—20/2017 श्र०सं०— पटना, दिनांक—
प्रतिलिपि— जिला पदाधिकारी, भोजपुर/जिला पदाधिकारी, बक्सर/कोषागार पदाधिकारी, भोजपुर/कोषागार पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक— 6/श्रम वि० आ०(02)—20/2017 श्र०सं०— पटना, दिनांक—
प्रतिलिपि— श्री जगदानंद दूबे, तत्कालीन श्रम अधीक्षक, भोजपुर सम्प्रति श्रम अधीक्षक, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक— 6/श्रम वि० आ०(02)—20/2017 श्र०सं०— 3623 पटना, दिनांक—22/12/2017
प्रतिलिपि— श्रमायुक्त, बिहार, पटना/विशेष सचिव/सभी अपर सचिव/सभी उप सचिव/सभी विशेष कार्य पदाधिकारी/लोक सूचना पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी—01 एवं 06 (सरकार पक्ष)/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव